

## निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि पुलिस कर्मियों जलपान सुविधा के दृष्टिगत पुलिस लाइन, कमिशनरेट वाराणसी परिसर स्थिति "व कैन्टीन" को वित्तीय वर्ष-2022-23 के लिए 'किराये के आधार पर' दिये जाने हेतु निविदा दिनांक-१५७, २०२२ को आमंत्रित की जाती है प्रातः 10.00 बजे से 14.00बजे तक डाली गयी निविदा ही मान्य होगा। इसके पश्चात् लाये गये निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेग इच्छुक फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार उपरोक्त निर्धारित तिथि से पूर्व निविदा फार्म शुल्क रु० 100/- जमा कर पुलिस कार्यालय वाराणसी से किर भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। टेंडर फार्म के साथ अर्नेस्टमनी के तौर पर रु० 5000/- (रु० पां हजार) जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने पर संबंधित फर्म की निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा टेंडर फार्म लेने के लिए आवेदन के साथ अपना स्थाई एवं अस्थाई पता/ मोकाइल नम्बर आदि साथ ही पहचान-पत्र के तौर पर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पत्र अथवा इसी रूप में स्वीकार किए जाने योग्य रथ्य दस्तावेजों की अभिप्रामाणित प्रति के साथ आयकर प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेजों के सत्यापन में अथवा भविष्य कभी भी कोई दस्तावेज अथवा अन्य कोई तथ्य असत्य पाया गया तो फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार की अर्नेस्टमनी तत्काल जब्त करते हुए स्वीकृ निविदा भी निरस्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उनके विरुद्ध प्रचलित कर दी जाएगी।

यह निविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष-2022-23 तक प्रभावी रहेगा, टेंडर फार्म शुल्क संबंधित को वापस नहीं किया जायेगा। डाली गयी निविदा उसी तिथि को ही समय 1600बजे दिन में अद्योहस्ताक्षरी अथवा प्रतिनिधि किसी राजपत्रित अधिकारी/गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।

१- टेंडर बन्द लिफाफे में जमा किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर शीर्षक के तौर पर वेट कैन्टीन टेंडर लिखा होना चाहिए।  
२- वेट कैन्टीन पुलिस लाइन वाराणसी परिसर के मेस नं०-१ से लगे दाहिनी ओर अवस्थित हाल व अंगन का उपयोग किया जायेगा। उसके अतिरिक्त कोई भी रस्यान वेट कैन्टीन के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।

३- पुलिस लाइन वैट कैन्टीन के उपयोग हेतु लायी जाने वाली बिजली का पूरा खर्च फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। इस खर्च को निविदा हेतु प्रस्तुत पूरी राशि से न ही घटाया जा सकेगा, न ही अलग से जोड़ा जाएगा।

४- वेट कैन्टीन में बिक्री हेतु दर की स्वीकृति निविदा के उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाएगी।

५- वेट कैन्टीन में किसी भी दशा में बाल कर्मियों को काम में नहीं लगाया जाएगा तथा कैन्टीन में किसी भी दशा में धूमपान संबंधित बस्तुएं गुटखा, सिगरेट, शराब आदि विक्री नहीं की जायेगी साथ ही केन्द्रीय/उ०प्र०राज्य से प्रतिबंधित बस्तुओं का विक्रय भी न किया जायेगा। तम्बाकू निषेध अधिनियम का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य होगा।

६- वेट कैन्टीन में प्रत्येक प्रकार की स्वच्छता को बनाए रखना होगा तथा कैन्टीन के उपयोग लाये जाने वाले पानी खर्च का अलग संबंधित फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति द्वारा वहन करना होगा।

७- वेट कैन्टीन हेतु निर्धारित बड़े से कक्ष/भवन/स्थान के मूलभूत संरचना व स्थाई दीवारों आदि के साथ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा अस्थाई परिवर्तन हेतु अद्योहस्ताक्षरी से लिखित स्वीकृत प्राप्त किया जाना आवश्य होगा।

८- निविदादाता द्वारा पूर्व में पुलिस विभाग/अन्य विभाग के कैन्टीन संचालन का अनुभव प्रमाण-पत्र अथवा प्रपत्र संलग्न किया जाहोगा।

९- वेट कैन्टीन फर्म/ठेकेदार का द्वारा निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ०५ दिवस के अन्दर रु०-४०,०००-०० का एफडी/नक धनराशि, मूल प्रपत्र जमानत धनराशि के, रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि जमा करने के पुश्चात् ही अर्नेस्टम धनराशि वापस पाने का हकदार होगा तथा निविदा शर्तों के विपरीत संचालन करने पर जमानत धनराशि जब्त करने का अधिक अद्योहस्ताक्षरी का होगा।

उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए निविदा उस फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी निविदा धनराशि अधिकतम १ उसकी विश्वसनीयता प्रमाणित होने के आधार पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी तथा किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी बाध्य नहीं होगे तथा सर्वान्वयन मान्य नहीं होगी तथा निविदा को निरस्त करने का अद्योहस्ताक्षरी को सम्पूर्ण अधिकार होगा।

उक्त शर्तों के अलावा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता, गन्दगी, दुर्व्यवहार एवं महिला सुरक्षा संबंधित शिकायत अथवा अन्य किया प्रकार के कारण पाये जाने पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निविदा एक माह की नोटिस देकर फर्म/ठेकेदार से पूर्ण किराया वर्गुल करते हुए निर किया जा सकेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

पुलिस उपायुक्त  
मुख्यालय एवं अपराध  
वाराणसी।

**प्रतिलिपि:-** अपर पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय/म०अपराध एवं सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित

2. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, जोन काशी/बरुणा को आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार हेतु।
3. समस्त थाना प्रभारी कमिशनरेट/वाराणसी ग्रामीण को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु।
4. प्रतिसार निरीक्षक को प्रचार एवं प्रसार एवं निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही समय पूर्ण कराते हुए कैन्टीन संचालन कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।